

**उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)**

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
86/21	88, 89, 91, 92A 188 R/A	बाल खंडी	खंडी
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
आशुतोष कौंठ	बनाम	अमर जाल कौंठ	

2021/192

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

**दिनांक** **कार्यवाही एवं आदेश** **विविध संदर्भ**

01<sup>10</sup>/<sub>21</sub>

अभिभाषक प्राणी द्वारा बदिपत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 91, 92A 188 R/A विरुद्ध अप्राणी/गणों के विरुद्ध इर्स जामालयों के पेश किया गया। रिपोर्ट हरिद्वी की अवलोकन किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्राणी/गणों के जरिये समस्त तलक कर पत्रावली दिनांक 13/12/21 को पेश हो।

*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा, जिला बारां (राज0)

13<sup>12</sup>/<sub>21</sub>

पत्रावली पेश हुई। कुलम्ब परीकृत उपस्थित। प्रतिवादी गणों के बाद तामील समस्त प्रारत। प्रतिवादी कुत 1 ता 3 की ओर से श्री दीपक कर्मा एटको. का कबलत नाम पेश हुआ। तथा साथ ही प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 एंव धारा 151 CPC पेश किया जोशाम नि किता गया। जिसकी प्रति वकील प्राणी को दी गई। करते जबकि प्र. पत्र 07 Rule 11 एंव धारा 151 CPC पत्रावली दिनांक 28/12/21 को पेश हो।

*[Signature]*

28<sup>12</sup>/<sub>21</sub>

पत्रावली पेश हुई। कुलम्ब परीकृत उपस्थित। 07 Rule 11 एंव धारा 151 CPC का जबकि पेश नहीं हुआ है। समस्त करते जबकि प्र. पत्र पत्रावली दिनांक 08/12/22 को पेश हो।

*[Signature]*

22

पत्रिका की पेशा हुई। बमाल प्राथो अनुपस्थित। बमाल प्राथो को एक-एक कर तीन-बार आवान कराई गई। कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण अटक हाथी अटक परी खारिज किया जाता है। पत्रिका की पेशा सुकर डामर दाखिल दफ्तर है। ✓